

मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा। अति अल्पकालीन निविदा सूचना

मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा द्वारा निम्नलिखित कार्यों हेतु निम्नांकित दिनांक को निविदाएं आमंत्रित की जाती है। क्रम संख्या- 1 से 3 पर अंकित कार्यों की निविदा प्राधिकरण में सिविल श्रेणी में तथा क्रम संख्या-4 व 5 पर अंकित कार्यों की निविदा प्राधिकरण में विद्युत श्रेणी में पंजीकृत फर्मों की मान्य होगी। क्रम संख्या- 6 से 8 पर अंकित कार्यों हेतु प्राधिकरण में पंजीकृत होना अनिवार्य नहीं है परन्तु उद्यान विभाग, उत्तर प्रदेश में पंजीकृत होना अनिवार्य है तथा सरकारी विभाग में कार्य का अनुभव हो। क्रम संख्या-9 पर अंकित विशिष्ट कार्य हेतु तकनीकी रूप से अनुभवी फर्म निविदा में भाग ले सकता है तथा प्राधिकरण में पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। मुहरबन्द निविदायें मुख्य अभियन्ता कार्यालय में रखे निविदा बॉक्स में निम्नांकित दिनांक को अपराह्न 3.00 बजे तक डाली जा सकती है। निविदाएं तद्दिनांक को ही अपराह्न 3.30 बजे उपस्थित निविदादाताओं/प्रतिनिधियों की उपस्थिति में (यदि हों), खोली जायेंगी। निविदा प्रपत्र मूल्य की धनराशि ई-चालान के माध्यम से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मयूर विहार, मथुरा कैंट, मथुरा में जमा कराते हुए निविदा प्रपत्र निविदा प्राप्ति तिथि से एक दिन पूर्व तक कार्यालय समय (प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक) में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मयूर विहार, मथुरा कैंट, मथुरा अथवा प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा प्रपत्र प्राप्त करते समय ही राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ0डी0आर/एन0एस0सी0 जो सचिव, मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा के नाम बन्धक हों, के रूप में वॉछित आवश्यक धरोहर धनराशि जमा करानी होगी। प्रत्येक कार्य के लिए निर्धारित धरोहर धनराशि अलग-अलग जमा करानी होगी।

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रु०)	धरोहर राशि (रु०)	निविदा मू० (18% G.S.T) सहित (रु०)	समयावधि	निविदा तिथि
1	2	3	4	5	7	
1.	कदम्ब विहार आवासीय योजना में सड़कों, नालियों, चैम्बर्स एवं पार्को की नियमित सफाई व कूड़े के निस्तारण का कार्य।	2,72,250.00	27,500.00	472.00	तीन माह	18.01.19
2.	चैतन्य विहार, वृन्दावन में सरस्वती शिशु मंदिर के सामने 30 मी० मास्टर प्लान रोड में नाले पर पुलिया का निर्माण कार्य।	2,74,256.00	27,500.00	472.00	एक माह	18.01.19
3.	होलीगेट के पास गौंधी आश्रम के सामने नाले की मरम्मत व नाले का कवर्ड किये जाने का कार्य।	6,71,000.00	67,000.00	708.00	तीन माह	18.01.19
4.	केशवधाम के सम्मुख खाली मैदान/पार्क में ट्यूबवैल की स्थापना का कार्य (पार्ट-ए)	6,68,000.00	67,000.00	708.00	दो माह	18.01.19
5.	फरह में प्रकाश व्यवस्था हेतु एल.ई.डी. लाइट्स लगाने का कार्य।	8,44,340.00	84,500.00	708.00	15 दिन	18.01.19
6.	प्राधिकरण की पूर्व विकसित योजनाओं में पार्को के सौन्दर्यीकरण का कार्य।	7,49,000.00	75,000.00	708.00	दो माह	18.01.19
7.	वृन्दावन में रूक्मणी विहार योजना में राउण्ड एबाउट, कम्प्युनिटी सेंटर व नर्सरी के फुटपाथ का उद्यानीकरण का कार्य।	4,67,107.00	47,000.00	472.00	15 दिन	18.01.19
8.	पुष्पांजलि उपवन में पहुँच मार्ग के सेन्ट्रल वर्ज पर उद्यानीकरण का कार्य।	7,25,826.32	73,000.00	708.00	10 दिन	11.01.19
9.	वाटर बाडीज की त्वरित बायो रेमेडिएशन समबन्धी कार्य।	प्रति एकड पर आमंत्रित	50,000.00	500.00	तीन माह	18.01.19

नोट:-

- निविदा के साथ संलग्न प्रपत्रों एवं शर्तों को भलीभांति पढ़ व समझ लें। निविदा के पश्चात किसी भी आपत्ति पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा।
- निविदा में दी गयी दरें तीन माह तक मान्य होंगी।
- विशेष सचिव, उ०प्र० शासन, लोक निर्माण अनुभाग-12, लखनऊ के शासनादेश संख्या-622/23-12-2012-2 आडिट/08,टी०सी० दिनांक 08 जून 2012 में विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु प्राप्त टेण्डर स्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में "कट आफ लिमिट" से प्रतिशत बिलो टेण्डर पर कार्य स्वीकार करने के साथ-साथ अतिरिक्त सिक्वोरिटी/परफारमेंस गारण्टी लिये जाने का प्राविधान किया गया है, जिसके अनुसार 10 प्रतिशत बिलो (निम्न) तक 0.50 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक बिलो (निम्न) दरों पर 1.00 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर सिक्वोरिटी/परफारमेंस गारण्टी ली जायेगी। उपरोक्त शासनादेश के अनुसार सिक्वोरिटी/परफारमेंस गारण्टी,

राष्ट्रीकृत बैंक की एफ0डी0आर0/बैंक गारण्टी/एन0एस0सी0 जो सचिव, मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा के नाम बंधक हो, जमा करायी जायेगी ।

4. सभी प्रकार के प्रचलित टैक्स एवं निर्माण अवधि में आरोपित अन्य टैक्सों के वहन का दायित्व निविदादाता का होगा । प्राधिकरण द्वारा प्रचलित व निर्माण कार्यो मे आरोपित टैक्सों का कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा ।
5. समस्त कटौतियों लोक निर्माण विभाग व शासन द्वारा जारी नियमों के अनुसार की जायेगी ।
6. व्ययानुमान की दरों में जी.एस.टी. सम्मिलित नहीं है । जी.एस.टी. नियमानुसार अतिरिक्त देय होगा ।
7. कार्य की मात्रा में कमी/बढ़ोत्तरी अथवा विभाजित करने अथवा किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष, म0वृ0वि0प्रा0 में निहित है, जिसके विरुद्ध निविदादाता का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा ।
8. निविदादाता को आयकर विभाग, श्रम विभाग एवं जी.एस.टी. में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। शासन द्वारा समय-समय पर लागू आयकर, लेबर सेस एवं अन्य करों की कटौती ठेकेदार के बिलों से नियमानुसार की जायेगी ।
9. उ.प्र. भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्त विनियम नियमावली वर्ष-2009 के विनियम 24(2) के अंतर्गत प्रत्येक संविदा हेतु श्रम विभाग में एकल पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अनुबन्ध गठन के पश्चात उक्त पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसके उपरान्त ही चलित देयक का भुगतान किया जायेगा ।
10. स्टेट बार कॉउंसिल में पंजीकृत व्यक्ति एवं आपराधिक रिकॉर्ड वाले निविदादाता की निविदा प्रक्रिया मे भाग लेने की अनुमति नहीं है । साथ ही यदि निविदादाता का सगा-सम्बन्धी (First blood relation & their dependant) म.वृ. वि.प्रा. में कार्यरत है, तो उसे भी निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं है ।
11. निविदादाता द्वारा दिये गये दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों के गलत पाये जाने पर कार्य/अनुबन्ध की स्वीकृति को तत्काल निरस्त करते हुए ठेकेदार द्वारा जमा धरोहर/जमानत धनराशि को जब्त कर लिया जयेगा तथा ठेकेदार को कालीसूची में डाल दिया जायेगा ।
12. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी ।

मुख्य अभियन्ता